डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
कैम्प डीग
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 30/25 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2025/262

उनवान

बृजलता पत्नी घनश्याम पुत्र शिखरचंद जाति ब्राहमण निवासी करवा नगर जिला डीग।

.....अपीलांट

बनाम

1. शिखरचंद पुत्र बृजलाल
2. घनश्याम पुत्र शिखरचंद
3. गोविन्द प्रसाद पुत्र शिखरचंद
4. जमना पुत्री शिखरचंद
5. सुमन पुत्री शिखरचंद

जाति ब्राहमण निवासी कृष्णा नगर जिला डीग।

.....रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी नगर दिनांक 14.05.2025 उनवानी बृजलता बनाम शिखरचंद वगै0 मु0न0 12/22

यह अपील .....12.....माह.....01.....सन्.....2026..... .....श्री सुनील दत शुक्ला एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट्स श्री दिनेश चंद गुप्ता एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा समायत के लिये यह हुक्म है कि... **अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 14.05.2025 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....12.....माह.....01.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प डीग)

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह वुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 30/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/262

उनवान

बृजलता पत्नि घनश्याम पुत्र शिखरचंद जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नगर जिला डीग।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शिखरचंद पुत्र बृजलाल
2. घनश्याम पुत्र शिखरचंद
3. गोविन्द प्रसाद पुत्र शिखरचंद
4. जमना पुत्री शिखरचंद
5. सुमन पुत्री शिखरचंद

} जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नगर जिला डीग।

.....रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 12/2022 उनवान बृजलता बनाम शिखरचंद व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री सुनील दत्त शुक्ला उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट्स श्री दिनेशचंद गुप्ता एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.01.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा मु.स. 12/2022 उनवान बृजलता बनाम शिखरचंद व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2025, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2990/1788/0.25, 3018/1803/0.08, 3028/1804/0.18, 3029/1959/0.25, 3030/1991/0.10, 3031/2244/0.20, 1802/0.07 किता 7 रकबा 1.43 वाके कस्बा नगर तहसील नगर स्थित है। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं. 2 की विवाहिता पत्नी है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पुत्रवधू है। अपीलान्ट का पति रेस्पोडेन्ट सं. 2 हर समय शराब के नशे मे रहता है और अपीलान्ट की दैनिक आवश्यकताओं का कोई ख्याल नहीं रखता है और कई–कई दिनों तक घर से बाहर रहता है उक्त आराजी में अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट शिखरचन्द की पुत्रवधू होने के सबब एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 की पत्नि होने के नाते उक्त आराजी में अपीलान्ट के पति घनश्याम का उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी में हिस्सा 1/5 बनता है तथा शेष 4/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का बनता है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो वृद्ध है स्वयं काश्त नहीं करता है। इसलिए अपीलान्ट के पति घनश्याम का उक्त आराजी में से हिस्सा 1/5 बनता है उसे स्वयं अपीलान्ट शादी के बाद से ही निरंतर काश्त करती चली आ रही है और हिस्सा 1/5 पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा है। इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 रेस्पोडेन्ट सं. 1 को बहला–फुसला कर बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के एवं महज अपीलान्ट को उसके हिस्सा आराजी से वंचित करने के आशय से समस्त आराजी को रहन–वय–मुन्तकिल कर देना चाहते हैं। इसलिए अपीलान्ट ने न्यायालय तहत में वादपत्र पेश किया। जिस पर रेस्पोडन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2025 को अपीलान्ट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की हैं

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील दत्त शुक्ला एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचंद गुप्ता एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की पुत्रवधू है और रेस्पोडेन्ट सं. 2 की पत्नि है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2, रेस्पोडेन्ट सं. 1 का पुत्र है। वाद पत्र में अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 नशा करता है और वह कोई काश्त नहीं करता है और रेस्पोडेन्ट सं. 2 का उक्त विवादित आराजी में हिस्सा 1/5 मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार जन्म से बनता है जिसके हिस्से पर अपीलान्ट काबिज है और अपीलान्ट स्वयं हिस्सा 1/5 जो उसके पति का बनता है उस पर काश्त कर रही है इसलिये मौजूदा प्रकरण में परिस्थिति को देखते हुए उक्त आदेश 7 नियम 11–ए सीपीसी के प्रावधान आरिज नहीं होते हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गुणावगुणों का विवेचन किये अपीलान्ट का दावा खारिज करने मे भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को दावा में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर विचार कर ही वाद तनकीयात दावा का निर्णय करना चाहिये था ना कि इस स्टेज पर इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2025 के है चूंकि अपीलान्ट प्रत्येक पेशी पर नहीं आती थी इस कारण अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी अपीलान्ट दिनांक 01.09.2025 को अपने वकील साहब के पास जानकारी करने गयी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा दावा दिनांक 14.05.2025 को खारिज कर दिया है। अपीलान्ट से अपील पेश करने में हुई देरी का कारण निर्णय व डिक्री की लाईल्मी रहा है जो काबिले क्षम्य के है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट से अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने की कृपा करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाके कस्बा नगर स्थित का खातेदार शिखरचंद जीवित है तथा काबिज रहकर काश्त कर रहा है। एक खातेदार के जीवित रहते हुये कोई भी व्यक्ति एवं वादनी किसी भी प्रकार से अपने नाम दर्ज नहीं करा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 2 जीवित है तथा कानूनन प्रार्थी के जीवित रहते ना तो वादिया को वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न होता है एव ना ही वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार हांसिल है अर्थात दावा वादिया पोषणीय योग्य ही नहीं था। वादनी का घनश्याम से तलाक विवाह विच्छेद न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 डीग द्वारा दिनांक 25.02.2020 को हो चुका है। वादनी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादनी को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 07.06.2017 से गुजारा भत्ता नियमित दिया जा रहा है तथा प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध झूठा मुकदमा दफा 498–ए, 406 आई.पी.सी. तथा घरेलू हिंसा के मुकदमे न्यायालय श्रीमान एसी.जे.एम. साहब कामां में विचाराधीन था। वादनी अपनी मनमर्जी से दिसम्बर 2012 से ही अपने पीहर में रह रही है तथा वादनी ने सास–ससुर, पति की कभी भी कोई देखभाल नहीं की व न ही सम्मान किया। वादनी का प्रतिवादी सं. 1 शिखरचंद के परिसर से सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है इसलिए वादनी का प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की आराजी व सम्पत्ति से कोई सरोकार किसी किस्म का नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.09.2025 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जवाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निरतारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निरतारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर अभिवचन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2990/1788, 3018/1803, 3028/1804, 3029/1989, 3030/1991, 3031/2244, 1802 कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 वाके कस्बा नगर तहसील नगर में स्थित है के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज घर के मुखिया शिखरचन्द के नाम हैं और शिखरचन्द प्रतिवादी काफी जईफुल उम्र हो चुका है जिसे आखों से कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई देता है, यहां तक की उसकी सोचने समझने की शक्ति भी क्षीर्ण हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 2 घनश्याम शुरु से शराब व अन्य नशे का आदि रहा है और हरवक्त मदहोशी की हालत में रहता है जिसे गृहस्थी एवं बाल बच्चों की परवरिस का कतई ध्यान नहीं रहता है यहां तक कि काफी दिनों तक घर से बाहर रहता है जिसके कारण वादीया के सामने भूखा करने की नौबत आ गयी है। ऐसी स्थिति में जब वादीगण ने अपनी व्यथा ग्राम बस्ती व रिश्तेदारान बुजुर्गान आदि के सामने अपनी समस्या रखी तब घर के मुखिया प्रतिवादी सं. 1 शिखरचन्द ने काफी विचार विमर्श एवं सभी हिस्सेदारान एवं परिवारजनों की सहमति से घनश्याम के हिस्से में आयी समस्त अचल सम्पत्ति विवादित रकबा वादिया को हमेशा–हमेशा के लिए काश्त करने के लिए बता दिया था तब से वादिया काबिज रहकर जोतती–बोती चली आ रही है। मौके पर आज भी वादिया का ही विवादित रकबे पर क्वजा काश्त है। इस प्रकार अपीलान्ट वादिया ने वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 शिखरचन्द जो उसके ससुर हैं के हिस्से में से प्रतिवादी सं. 2 घनश्याम जो उसका पति है के हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2 घनश्याम पुत्र शिखरचन्द द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(ए) एवं (डी) सहित सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादिया द्वारा पेश वाद जैर अपील आदेश दिनांक 14.05.2025 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जैर अपील आदेश दिनांक 14.05.2025 में यह माना है कि :–

"यहां दावे के पठन से यह स्पष्ट होता है कि वादिया प्रतिवादी संख्या 02 की पत्नी है और वादग्रस्त भूमि ससुर के नाम है जो जीवित है वादिया द्वारा अपने पति के जीवित रहते यह वादपत्र चतुराई से प्रस्तुत किया है। जबकि पति के जीवित रहते पत्नी को वाद प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वाद पत्र प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार हांसिल नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर प्रकरण में पूर्णतः चस्पा हो रही है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 02 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 (ए) एवं (डी) सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश इस प्रकार है :– "अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 (ए) एवं (डी) सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादिया खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।"

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 11 इस प्रकार है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

11. **वादपत्र का नामंजूर किया जाना** – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा : –

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय म द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है :

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

(ङ) जहां वह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

कोई भी वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र इस बिन्दु पर आधारित हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात प्रार्थना–पत्र का आधार आदेश 7 नियम 11 का उप नियम (घ) हो तो उप–नियम (घ) की शब्दावली Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by law पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वादपत्र के ''कौनसे अभिकथन'' के कारण दावा ''किस विधि'' से बाधित है। न्यायालय स्वयं भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत दावा के अभिवचनों से यह पाता है कि दावा विधि द्वारा वर्जित है तो भी ऐसे दावे को खारिज किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट वादीया रेस्पोडेन्ट सं. 1 चन्द्रशेखर की पुत्रवधु एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 की पत्नी है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी जिसमें से अपीलान्ट वादिया ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है वह उसके ससुर चन्द्रशेखर के नाम दर्ज रिकार्ड है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी पुत्रवधु अपने ससुर की दर्ज भूमि में कोई अधिकार अपने पति के जीवित रहते हुए प्राप्त करती हो। इस प्रकार वादिया द्वारा पेश वाद आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित होने से एवं दावे में वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से (आदेश 7 नियम 11–ए) विधिसम्मत रुप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2025 यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर